— ... ...ालियर, ग्वालियर कैम्प सागर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक— /निगरानी /2012—13 R-1149-II/13 (192)

महिला प्रेमबाई पत्नि गनेशा चढ़ार निवासी ग्राम मौखरा तहसील बड़ागांव धसान ज़िला—टीकमगढ़ म.प्र.

.....निगराकार

बनाम

महिला बत्तू पत्नि तुलसिया चढार निवासी ग्राम मौखरा तहसील बड़ागांव धसान जिला—टीकमगढ़ म.प्र.

.....प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता प्रतिकूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र. 244/निगरानी/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 19—02—2013 से परिवेदित होकर

R.m.
12/3/13

महोदय,

निगराकार की ओर से विनम्र सादर निम्न प्रकार है :-

1007

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बड़ागांव धसान के प्र.क्र. 48/अ—12/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 5—7—2011 के तहत निगराकार की क्रयशुदा पटैती भूमि का सीमांकन स्वीकृत किया गया था जिसमें प्रतिनिगराकार का प्रति सीमांकन के समय मौजूद रहा किन्तु पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया, जिस सीमांकन में प्रतिनिगराकार का अवैध रूप से कब्जा पाया गया, किन्तु इस सीमांकन की निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान व पत्रावली के विरूद्ध आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध निगरानी निम्न आधारों पर श्रीमान् की ओर सुनवाई हेतु सादर प्रस्तुत की जा रही है :—

{1} यह कि भूमि ख.नं. 372/1576/1 एवं 372/1576/7 स्थित ग्राम मौखरा रा.नि.मं. बड़ागांव धसान तहसील टीकमगढ़ की भूमि निगराकार की है जो तरमीम शुदा भूमि है। इस भूमि पर प्रतिनिगराकार के पति द्वारा जबरन बल—पूर्वक कब्जा किया गया जिसका विधिवत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़ागांव धसान के समक्ष चालान शुल्क जमा कर सीमांकन हेतु आवेदन किया गया, और स्थल पर जाकर इस भूमि का सीमांकन किया गया और सीमांकन में भी उत्तरवादी का अवैध कब्जा पाया गया। इस कब्जे को न छोड़ना पड़े जिस हेतु उत्तरवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी की गयी, जो स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है, ऐसा आदेश प्रत्येक दशा में हस्तक्षेप योग्य होने से निरस्ती योग्य है।

{2} यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में लिखा कि 15 जून के बाद से सीमांकन की कार्यवाहियां बंद कर दी जाती है, जबकि यह सीमांकन 3-7—2011 को किया गया, जबकि यहां स्पष्ट है कि 15 जून के बाद सीमांकन के आवेदन लगना बंद होते हैं न कि सीमांकन के लंबित आवेदनों का निराकरण करना। चूंकि 3-7-2011 तक प्रश्नाधीन सीमांकित भूमियां खाली पड़ी हुई थी और उन पर कोई फसल नहीं थी जिस कारण इन भूमियों का सीमांकन किया गया और प्रकरण निराकरण किया गया, इसमें विचारण ... य का कोई दोष या त्रुटि नहीं है ...

प्रेमबाई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1148-दो/2013 जिला टीकमगढ़

प्रेमबाई विरूद्ध चत्तू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 244/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 19-02-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) सदस्य 08/3/19	